संख्या-41/2021/1421 ई-2/तेरह-2021-1145652

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2021

विषय- मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लि., डिस्टिलरी यूनिट हरियावां, जनपद हरदोई को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अंतरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-21/दो-प्रा.डी.-189/दिनांक 27 जुलाई 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लि., डिस्टिलरी यूनिट हरियावां, जनपद हरदोई को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल निर्माण किये जाने के कारण स्वीकृत क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 528 लाख लीटर वार्षिक को अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 200 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 660 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा शासनादेश दिनांक 01.02.2021 में लगायी गयी शर्तों एवं उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु हेतु कमेन्ट दिनांक 06.07.2021 एवं जल हेतु कमेन्ट दिनांक 06.07.2021 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए अल्कोहल का उत्पादन कार्य किया जायेगा तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा स्थापित /विद्यमान समस्त सुसंगत विधियों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी अनिवार्य होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**